मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-नवम्बर, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 12, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2006 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघव जी, वित्त मंत्री -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(i) वित्त लेखे वर्ष 2005-2006, तथा

(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2005-2006,

(ख) दि स्टेट फायनेंशियल कारपोरेशन एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 51 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006, तथा

(ग) मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मर्यादित, भोपाल का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा क्रमांक 6-6-06-इक्कीस-ब-दो, दिनांक 2 सितम्बर, 2006 पटल पर रखेंगे.

(5) सुश्री कुसुम सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 पटल रखेंगी.

(6) चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) की धारा 3 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री रुस्तम सिंह, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के आरटीकल ऑफ एसोसियेशन की कंडिका 83 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का चतुर्थ एवं पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (दिनांक 31 मार्च, 1998 तथा दिनांक 31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे.

(8) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री गृह -

(i)कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का तेइसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2003-2004; तथा

(ii) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005,

पटल पर रखेंगे.

4. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, रीवा नगर के समीप गोविंदगढ़ तालाब में निजी यात्री बस गिरने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल नगर में बाढ़ पीडितों को आर्थिक सहायता मुहैया न हो पाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, म.प्र. राज्य हस्तशिल्प विकास निगम के कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सदस्य, प्रदेश की सहकारी समितियों द्वारा कृषकों से अधिक दर से ब्याज की वसूली किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

6. सभापति तालिका की घोषणा

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्रीमती सुधा जैन, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तीसवां से इकतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(2) श्री लाल सिंह आर्य, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति का नवम् एवं दशम् कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

8. वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

9. जेल मंत्री का वक्तव्य

श्री अंतर सिंह आर्य, जेल मंत्री, दिनांक 21 मार्च, 2006 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 2110) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

10. अशासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

निर्धारित समय

11. अशासकीय संकल्प

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि वेरावल से जबलपुर चलने वाली राजकोट एक्सप्रेस क्रमांक 1463 एवं 1465 को रीवा तक चलाया जावे तथा जबलपुर से वेरावल तक चलने वाली राजकोट एक्सप्रेस क्रमांक 1464 एवं 1466 को रीवा से प्रारंभ कर वेरावल तक चलाया जावे".

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

1 घन्टा " यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल शहर के समस्त वार्डो को गैस पीड़ित घोषित किया जावे".

(3) सर्वश्री रामनिवास रावत, दुर्गालाल विजय, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

45 मि. " यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ग्वालियर से श्योपुर नैरोगेज रेल लाईन को ब्राडगेज रेल लाईन में परिवर्तित करते हुये कोटा (राजस्थान) तक रेलवे लाईन बढ़ाई जावे".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 2 नवम्बर, 2006